नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

किन्दूरीलाल बनाम राज0 सरकार

रस्म मुकदमा– प्रा0पत्र अ0धा0 136 एल0 आर0 एक्ट   मु0नं0– 115/2021

(आ)सीन अधिकारी– श्री राकेश कुमार मीना (आर0ए0एस0)

(ता)रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
(..).01.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 284, 285 एवं 286 वाके ग्राम मीना सीमला में स्थित है। उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 194/3 एवं 194/2 रहे है। साबिक खसरा नम्बर में प्रार्थी संख्या 1 का नाम अंकित था जिसे वर्तमान जमाबंदी में हटा दिया गया जो कि दुरूस्ती योग्य है एवं वादी संख्या 2 का नाम साबिक राजस्व रिकॉर्ड में उमेशचन्द पुत्र विश्राम था जिसे वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उम्मेद चन्द पुत्र विश्राम गलत दर्ज कर दिया जिसे शुद्ध किया जावे। बहस वादी अधिवक्ता एवं जवाब स्टेट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश जवाब स्टेट में यह तथ्य अंकित किया गया है कि विवादित वर्तमान आराजीयात के सैटलमेण्ट से पूर्व खसरा नम्बर 194/3 रकबा 0–16 बीघा खसरा नम्बर 194/2 रकबा 0–15 बीघा जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 102 अनुसार मगनलाल पुत्र किशनलाल हि0 19780/21780 तथा किन्दुरीलाल पुत्र किशनलाल हि0 2000/21780 जाति मीना सा0देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड था। खसरा नम्बर 194/2 जमाबदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 65 पर पवनकुमार पुत्र मायाराम हि0 9021/20419 जाति वैश्य, सुशील कुमार पुत्र गोपीचन्द हि0 9595/20419 जाति वैश्य, उमेशचन्द पुत्र विश्राम हि0 3803/20419 जाति मीना सा0देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड था जो सही है। दौराने सैटलमेण्ट हाल खसरा नम्बर 284, 285 एवं 286 साबिक खसरा नम्बर 194 मिन रकबा 2–08बीघा से बने है जिनका एक ही खाता बना दिया गया जिसमें किन्दूरीलाल पुत्र किशनलाल का नाम हटा दिया गया तथा उमेशचन्द पुत्र विश्राम का नाम उम्मेद चन्द पुत्र विश्राम गलत दर्ज कर दिया गया। जवाब स्टेट के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम मीना सीमला की भूमि खसरा नम्बर 284, 285 एवं 286 में मुताबिक साबिक राजस्व रिकॉर्ड के वादी संख्या 1 किन्दूरीलाल का नाम बतौर खातेदार अंकित करने एवं वादी संख्या 2 का नाम उम्मेद चन्द के स्थान पर उमेश चन्द दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)